सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2022/70 दर्ज तिथिः—14.03.2022

1. खेराजराम पुत्र मोटाराम
   जाति मेघवाल निवासी नया कुआं, ग्राम पंचायत मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

..........................प्रार्थी

बनाम

1. उमाराम पुत्र जेठाराम
2. किशनाराम पुत्र हिमताराम
3. जियादेवी पत्नी हिमताराम
4. डूंगराराम पुत्र हिमताराम
5. नगाराम पुत्र हरजीराम
6. भगाराम पुत्र मंगलाराम
7. भंवराराम पुत्र मंगलाराम
8. भोमाराम पुत्र मंगलाराम
9. रामाराम पुत्र मंगलाराम
10. लहरों पत्नी मंगलाराम
11. हुकमाराम पुत्र हिमताराम
12. चूकीदेवी पत्नी वनाराम
13. चूनाराम पुत्र फगलूराम
14. चेनी पत्नी उमेदाराम
15. जगराम पुत्र चेनाराम
16. झीमोंदेवी पत्नी चेनाराम
17. टीकूराम पुत्र उमेदाराम
18. ठाकराराम पुत्र नवाराम
19. भूराराम पुत्र चेनाराम
20. भंवराराम पुत्र फगलूराम
21. सादूलाराम पुत्र नवाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:35 IST
Reason: SelfAttested

22. सोभाराम पुत्र कानाराम
23. हीराराम पुत्र उमेदाराम फौत
    23 / 1 अशोक कुमार पुत्र हीराराम
    23 / 2 पुखराज पुत्र हीराराम
    23 / 3 नरपत पुत्र हीराराम नाबालिग वली माता सजनीदेवी
    23 / 4 सजनीदेवी पत्नी हीराराम
24. हड़ूमानराम पुत्र भगवानाराम
25. नेमाराम पुत्र भगवानाराम
26. मगाराम पुत्र भगवानाराम
27. गोरखाराम पुत्र भगवानाराम
28. छगनाराम पुत्र भगवानाराम विप्रार्थी संख्या 27 व 28 नाबालिग वली माता केकू पत्नी भगवानाराम
29. केकू पत्नी भगवानाराम
30. केशाराम पुत्र भाखरराम
31. मूलाराम पुत्र भाखरराम
32. लिखमाराम पुत्र भाखरराम
    विप्रार्थी संख्या 31 व 32 नाबालिग वली माता रगूदेवी पत्नी भाखरराम
33. रगूदेवी पत्नी भाखरराम
34. टीकमाराम पुत्र चौखाराम
35. दुर्गाराम पुत्र देदाराम
36. भीखाराम पुत्र तुलछाराम
37. वरींगाराम पुत्र देदाराम
    कौम मेघवाल साकिन नयाकुआं ग्राम पंचायत मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
38. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार नोखड़ा
39. चूनाराम पुत्र भेराराम
40. डूंगराराम पुत्र भेराराम फौत
    40 / 1 अचलाराम पुत्र डूंगराराम
    40 / 2 पताराम पुत्र डूंगराराम
    40 / 3 जगमाल पुत्र डूंगराराम
    40 / 4 धर्माराम पुत्र डूंगराराम
    40 / 5 तेजाराम पुत्र डूंगराराम
    40 / 6 चनणीदेवी पत्नी डूंगराराम
41. रेखाराम पुत्र भेराराम
42. लिखमाराम पुत्र भेराराम
    कौम मेघवाल साकिन नयाकुआं ग्राम पंचायत मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.................अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:35 IST
Reason: SelfAttested

खेराजराम बनाम उमाराम
2022/70
निर्णय दिनांकः–24.03.2025

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री चिमनसिंह चौधरी
अप्रार्थीगणः– श्री हरिराम विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–24.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 222/103/3.6826 है0, 223/103/4.4636 है0, 230/103/0.6394 है0 मौजा नया कुआं पटवार मण्डल मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुडामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार गुडामालानी के आदेश दिनांक 27.12.2021 की पालना में दिनांक 29.12.2021 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी दिनांक 29.12.2021 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण संख्या 12, 14 ता 23 की असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थीगण संख्या 12, 14 ता 23 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी अप्रार्थीगण संख्या 12, 14 ता 23 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 12, 14 ता 23 का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा को निर्धारित प्रारूप में चैकलिस्ट तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26.03.2024 को मौके पर उपस्थित होकर चैकलिस्ट तैयार की गई।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 29.12.2021 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:35 IST
Reason: SelfAttested

किया है। दौराने बहस अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—(1)*** *In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी सम्वंत 2075—2078 में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुडामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 29.12.2021 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुडामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 222/103/3.6826 है0, 223/103/4.4636 है0, 230/103/0.6394 है0 मौजा नया कुआं पटवार मण्डल मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 24.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.26 20:47:35 IST
Reason: SelfAttested